

संकल्प

सिविल सर्जन, खगडिया के पत्राक-३८ दिनांक-०६.०१.२०२३ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुंड, गोगरी, खगडिया (R.No-BR00150160004309) दिनांक-०४.०४.२०२१ से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

२. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० आलम के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-१७ में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-५२८(९) दिनांक-१७.०५.२०२३ के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्रांक-९७१(९) दिनांक-१५.०९.२०२३ एवं १९२(९) दिनांक-०२.०२.२०२४ द्वारा डा० आलम से द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-१२.०६.२०२४ को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा० आलम को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

३. उक्त शारित प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-२११ दिनांक-१७.०४.२०२५ द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-१०.०६.२०२५ को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-०९ पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

४. तदनुसार डा० मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुंड, गोगरी, खगडिया को दिनांक-०४.०४.२०२१ से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

**आदेश:-**संकल्प की प्रति डा० मो० फिरदौस आलम एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक:-९/आ०-०४-२७/२०२३(स्वा०) ६४७(९)/ पटना, दिनांक: १३.६.२५

**प्रतिलिपि:-**महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-**क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मुगेर प्रमडल, मुगेर/सिविल सर्जन, खगडिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-**डा० मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुंड, गोगरी, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-**सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-**माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१३.६.२५

(15)

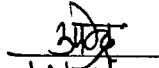
**प्रतिलिपि:**—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल राचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,5,7,8,10,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
13/06/2025  
सरकास के अवर सचिव।